सम्पदा प्रबंधक, वृत— राजस्थान आवासन मण्डल,	कोटो नोटेरी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित
विषयः– मण्डल द्वारा आवंटित आवास का मूल आवंट पश्चातवर्ती क्रेता का नाम मण्डल के रिकॉर्ड में संदर्भः– कार्यालय आदेश क्रमांक–प. बोर्ड ग 07.06.2010 एवं क्रमांक प.1(4)/भू.अ./94 दि	1-210/मुसप्र/2010/641 दिनांक
महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि मैंने राजस्य योजना, सांगानेर में स्थित आवास संख्या करवा लिया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है: 1. मूल आवंटी का नाम 2. आवास संख्या 3. आय वर्ग 4. मूल आवंटी के पक्ष में पंजीयन की दिनांक 5. विक्रेता का नाम कृपया आवास संख्या का स्वामित मण्डल अभिलेख में मेरे नाम दर्ज करने का श्रम करें।	
	नाम : पता :
संलग्नः— 1. प्रशासनिक शुल्क रूपयेकी रसीद 2. प्रोफार्मा 'डी' आवेदक व गवाही की पहचान संबंधी 3. मूल आवंटी से अंतिक क्रेता तक के पंजीयन प्रपत्रों 4. अदेय प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात बकाया ली 5. क्रेता की पहचान संबंधी साक्ष्य की सत्यापित छाया 6. संबंधित आवासीय अभियन्ता से भूखण्ड का व्यावस	की रात्यापित छायाप्रतियां। ज राशि जमा की रसीद की छायाप्रतिं। प्रतिं। ायिक उपयोग नहीं करने का प्रमाण पत्र।
 प्रशासनिक शुल्क की दर एचआईजी 20,000 / - रू एमआईजीअ 10,000 / - रू., एलआईजी 5,000 / - जीएसटी 18 प्रतिशत अलग से देय होगी। व्यावसायिक भूखण्ड की देय स्टाम्प ड्यूटी का 1 प्र 3. विकसित भूखण्ड की दर संमागीय मुख्यालय 100 तक 1000 / - रू. 200 वर्ग मी. से अधिक 2000 / - 200 वर्ग मी. तक 500 / - रू. 200 वर्ग मी. से अधि 4. विकसित वाणिज्यिक भूखण्ड संमागीय मुख्यालय 2 	प्रतिशत या न्यूनतम 1000/- रूपये। वर्ग मी. तक 500/-रू. 200 वर्ग मी. -रू. अन्य स्थान 100 वर्ग मी. 250/-रू वेक 1000/- रू.
15 जुलाई 20 से	

1

ł

10.12

1.2

1

100/- रूपये के स्टाम्प पे

UNDERTAKING

The request to transfer in our name has been accepted by the Rajasthan Housing Board, Jaipur and No-objection hereby undertake that we will abide by the terms and conditions of the original allotment and hereby further undertake to pay the board all the outstanding dues and futures dues including lease money in time.

we will be bound to discharge all the rights and obligations of the allottee (now transferee) which he was obliged to do so in favour of Rajasthan Housing Board.

The term and conditions of original allotment have been made known to me and I have reatd it.

Signature of transferee

-	-											*																										
F														12																								
• # •	•	•	+	*	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	-	4		•	•	•	•	,	P	•	*	*					*		,	

Witness :-	
1	
2	

15 जुलाई 20 से... पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण हेतु